भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1519
31 जुलाई,2026 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत की गई प्रगति

1519. श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत क्या प्रगति की गई है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त सूक्ष्म खाद्य उद्योगों की संख्या, संस्वीकृत ऋण संबद्ध राजसहायता और शामिल किए गए लाभार्थियोंकी संख्या का हरियाणा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) हरियाणा में पहचाने गए 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) उत्पादों और इसके अन्तर्गत समर्थित उद्योगों की संख्या तथा प्रदान की गई सहायता का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) उद्योगों के उन्नयन, रोजगार सृजन और बेहतर बाजार पहुंच के संदर्भ में उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त मापनीय उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क). दिनांक 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्रगति इस प्रकार है :

i) क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी: 2,00,421 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए 5954.57 करोड़ रुपये की स्वीकृत सब्सिडी के साथ ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
ii) प्रारंभिक पूंजी: 4,18,293 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए 1438.29 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
iii) सामान्य इनक्यूबेशन केंद्र: 219.93 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान के साथ 80 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 32 इनक्यूबेशन केंद्र चालू कर दिए गए हैं।
iv) क्षमता निर्माण: 1,76,056 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।
v) ब्रांडिंग और मार्केटिंग: 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

(ख). इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की संख्या, स्वीकृत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और कवर किए गए लाभार्थियों का हरियाणा सहित राज्य-वार विवरण, **अनुबंध-I** में है।

(ग). इस योजना के अंतर्गत, हरियाणा राज्य में 22 जिलों के लिए 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) को स्वीकृति दी गई है। ओडीओपी उत्पादों में लगे 269 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए 13.89 करोड़ रुपये की स्वीकृत सब्सिडी के साथ ऋण मंजूर किए गए हैं। जिलेवार विवरण **अनुबंध-II** में है।

(घ). मौजूद जानकारी के आधार पर, दिनांक 30.06.2026 तक 6.01 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित हुए हैं और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के अंतगर्त 74,363 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का औपचारिकीकरण किया गया है। ब्रांडिंग और विपणन घटक के तहत, 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप 40 ओडीओपी ब्रांडों के अंतर्गत 1,500 से अधिक उद्यम शामिल हुए हैं। 200 से अधिक उत्पादों को खुदरा शेल्वस और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रखा गया है, जिससे दृश्यता और पहुंच में सुधार हुआ है।

अनुबंध- I

दिनांक 31.07.2026 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत की गई प्रगति" के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1519 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत स्वीकृत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और प्रारंभिक पूंजी सहायता का राज्य-वार विवरण

		क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी		प्रारंभिक पूंजी	
क्र.सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**स्वीकृत ऋण (संख्या)**	**स्वीकृत सब्सिडी (करोड़ रुपये में)**	**एसएचजी सदस्य (संख्या)**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	18	1.03	114	0.43
2	आंध्र प्रदेश	9922	166.69	45842	173.12
3	अरुणाचल प्रदेश	254	17.22	4383	13.98
4	असम	6534	74.91	34915	105.34
5	बिहार	32100	753.01	24636	87.70
6	चंडीगढ़	5	0.21	0	0.00
7	छत्तीसगढ़	1941	84.04	10914	14.13
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	12	0.42	13	0.02
9	दिल्ली	363	10.00	0	0.00
10	गोवा	157	6.12	2077	7.77
11	गुजरात	1949	124.24	7185	18.39
12	हरियाणा	1989	129.02	1675	6.10
13	हिमाचल प्रदेश	2826	70.39	15602	58.67
14	जम्मू और कश्मीर	2704	58.01	1694	6.18
15	झारखंड	5442	114.29	6159	20.72
16	कर्नाटक	10289	393.97	19054	74.91
17	केरल	9865	265.16	6802	21.49
18	लद्दाख	104	5.14	651	1.82
19	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00
20	मध्य प्रदेश	15946	538.80	15259	48.54
21	महाराष्ट्र	31236	923.43	59403	212.97
22	मणिपुर	318	22.01	1024	3.72
23	मेघालय	269	4.78	5725	18.13
24	मिज़ोरम	91	3.56	2641	10.11
25	नागालैंड	509	9.14	6165	15.30
26	ओडिशा	3921	117.63	34207	102.02
27	पुदुचेरी	231	5.45	1986	7.68
28	पंजाब	3506	298.05	1404	4.36
29	राजस्थान	1786	104.13	7857	27.03
30	सिक्किम	76	2.12	2832	11.29
31	तमिलनाडु	19328	463.51	36697	141.42
32	तेलंगाना	7826	119.81	29973	117.32
33	त्रिपुरा	380	10.14	5209	19.95
34	उत्तर प्रदेश	26465	972.27	8511	25.97
35	उत्तराखंड	1258	39.96	9349	31.27
36	पश्चिम बंगाल	801	45.92	8335	30.44
	कुल योग	**200421**	**5954.57**	**418293**	**1438.29**

अनुबंध- II

दिनांक 31.07.2026 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत की गई प्रगति" के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1519 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

हरियाणा राज्य के लिए ज़िला-वार ओडीओपी, स्वीकृत सब्सिडी सहित स्वीकृत ऋणों की संख्या

क्र.सं.	जिले	ओडीओपी	स्वीकृत ऋणों की संख्या	स्वीकृत सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
1	अंबाला	दूध आधारित उत्पाद	6	0.31
2	भिवानी	सिट्रस फ्रूट आधारित उत्पाद	1	0.04
3	चरखी दादरी	दूध आधारित उत्पाद	8	0.45
4	फरीदाबाद	बेकरी उत्पाद	7	0.42
5	फतेहाबाद	सिट्रस फ्रूट	1	0.10
6	गुरुग्राम	आंवला आधारित उत्पाद	7	0.51
7	हिसार	दूध आधारित उत्पाद	92	3.91
8	झज्जर	दूध आधारित उत्पाद	19	0.89
9	जींद	पोल्ट्री मांस आधारित उत्पाद	2	0.06
10	कैथल	दूध आधारित उत्पाद	9	0.46
11	करनाल	दूध आधारित उत्पाद	29	1.96
12	कुरुक्षेत्र	बेकरी उत्पाद	17	0.78
13	नूह/ मेवात	टमाटर आधारित उत्पाद	0	0.00
14	महेंद्रगढ़	मसाले (मिर्च आदि)	1	0.02
15	पलवल	दूध आधारित उत्पाद	3	0.20
16	पंचकुला	अदरक आधारित उत्पाद	5	0.29
17	पानीपत	गाजर आधारित उत्पाद	4	0.21
18	रेवाड़ी	सरसों आधारित उत्पाद	5	0.43
19	रोहतक	बेकरी उत्पाद	21	0.82
20	सिरसा	दूध आधारित उत्पाद	15	1.03
21	सोनीपत	मशरूम आधारित उत्पाद	2	0.20
22	यमुनानगर	बेकरी उत्पाद	15	0.79
	कुल		**269**	**13.89**
